न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2022 – निगरानी

ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी

बनाम

1. श्रीमती लता देवी पत्नी सुरेश चन्द्र सोनी निवासी कृषि उपज मण्डी भीलवाडा के सामने, महिला आश्रम स्कूल के पास, चर्च वाली गली, भीलवाडा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 04.08.2009, पत्रावली संख्या 22, पट्टा संख्या 27/25, तारीख आदेश तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पालड़ी, पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 10.11.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी के द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरुद्ध पंचायत की बेशकीमती आबादी भूमि का पट्टा जारी करने के कारण पंचायत को लाखों रूपयों की हानि होने से निगकाराकार के द्वारा यह निगरानी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने की पालना नही की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं सचिव के द्वारा गैरनिगराकार सं. 01 को जो पट्टा पुरानेगृहों का विनियमितिकरण का नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से विधि के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

विकास अधिकारी को सूचित करे जो अपीलीय शक्तियों के अधीन उक्त प्रस्ताव को अपास्त कर सकते है। इस प्रकरण में पट्टे जारी करते समय व उसके 10 वर्ष पश्चात् तक कोई अपील नहीं की गयी। वर्तमान सरपंच भी वर्ष 2019 में निर्वाचित हो गये थे और उन्होंने भी लगभग 03 वर्ष तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि वे (सरपंच) इसी गांव के निवासी है। हस्तगत निगरानी काफी देरीना अर्थात् बेरून मियाद पेश होने से कानूनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। उक्त सिद्धान्त न्यायिक दृष्टान्त 2008 (2) DNJ (Raj.) Page 735 में पारित फरमाया गया है। अतः प्रार्थना है कि गैर निगराकार की ओर से उक्तानुसार प्रस्तुत लिखित बहस व न्यायिक दृष्टान्तों पर घोर फरमाते हुये हस्तगत निगरानी गिराकार कानूनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत पालडी ने गैर निगराकार संख्या 01 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के तहत प्रश्नगत पटटा संख्या 27/25 आवेदक के द्वारा पुराना मकान बताकर आवेदन करने पर 200/– में जारी किया गया। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पत्रावली की फोटोप्रति से में मौका निरीक्षण पत्र में स्पष्ट अंकन किया हुआ हैं कि प्रार्थीया पिछले 20 वर्षों से यहां निवास कर रही हैं। ऐसे में पुराने गृहों के पटटे का विनियमितिकरण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के तहत 200/– रूपये में किया गया हैं, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरूद्व प्रतीत होता हैं।

गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि उक्त निगरानी निगराकार द्वारा बैरून मियाद पेश की हैं जो कानूनन पोषणीय नही हैं।

लिमिटेशन एक्ट बारे में पत्रावली अवलोकन से यह जाहिर आया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त 2019 (1) सी जे (सिवि.)(राज.) 230 उषा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान यहां पर चस्पा होते हैं।

प्रश्नगत उक्त पटटा 2800 वर्गफीट क्षैत्रफल का पटटा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर जारी किया हुआ हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं ग्राम पंचायत ने

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्ण अवेहलना करते हुये क्षैत्राधिकार से परे जाकर नियमों के विरूद्व पटटे जारी किया हैं जिसे निरस्त किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 27/25 दिनांक 04.08.2009 जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टा को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पालडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 27/25 दिनांक 04.08.2009 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा एवं ग्राम पंचायत पालडी पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)